

सेवा के

अंचल अधिकारी  
चाणोलिया

विषय :- सीमांकन वाद सं: 61, 62, 63/2023-24 के  
आवेदक पुष्पा देवी लोधा, विराश कुमारी लोधा,  
तथा दुर्गा देवी लोधा के सीमांकन प्रतिवेदन ।

महोदय,

आदेशानुसार, उपरोक्त विषयक संबंधित मौजा-

- चाणोलिया, ग्रामा नं- 328, खारा नं- 296, खेसरा नं-

- 886/अंश रकबा- 0.21 ए. 0.33.72 ह. तथा 0.14.64 ए.

भूमि का अंचल कार्यालय सीमांकन वाद संख्या- 61,

62, 63/2023-24 के आदेश न निश्चित तिथि को

आवेदित स्थल पहुँच कर आवेदक से गैर किया

तथा आवेदित भूमि का कागजात मांगा गया । आवेदक

द्वारा रकबा की गई जमीन की चाल दिसवाया उक्त

कागजात अंचल अंतर्गत खाल सर्वे 1950-61 के

की फाइनल नक्शा की धार्या प्राप्त नक्शा के साथ

तथा दलिल में वर्णित चारही अनुसार सरजमीन

मिलान करते हुए खसरा नं- 886/अंश रकबा 0.21 ए.

0.33.72 तथा 0.14.64 ह. भूमि का सीमांकन किया

गया । आवेदक द्वारा तिन चाल दिसवाया तिनो एकही

परिवार से है । तिन नाम से अलग-अलग रजिस्ट्रि

किया है सम्पूर्ण जमीन आवेदक की पत्नी चारद्वार

के अंतर्गत है । तिनो के दलिल के अनुसार अलग-

अलग नाम किया जा दलिल में वर्णित रकबा अनुसार

सही है । परिभाषित नक्से पर दर्शाया गया ।

सीमांकन शर्त पुर्ण समाप्त हुआ । सीमांकन अवधि में  
किसी के द्वारा किसी प्रकार बाधा/आपत्ति नहीं किया ।

M.A.  
P. Gupta &  
प्रतिष्ठित रास

Seen  
12/02/24

इस प्रतिवेदन के साथ एक प्रति इस नमूना प्रिंसिपल  
परिभाषा अंकित किया गया तथा आवेदित अर्थ को ज्ञात  
द्वारा देकर दर्शाया गया तथा सीमांकन उपयुक्त किया गया  
पंचनामा इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया ।  
यह प्रतिवेदन कार्यालय के सावर समर्पित ।

आपका विश्वासनाम  
अधिकारी  
कार्यालय  
5/2/24